

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 152]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 अप्रैल 2019—चैत्र 22, शक 1941

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2019

क्र. एफ-1-55-2009-दो-ए(3).—मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 (क्रमांक 46/1974) की धारा 3 प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्वारा श्री मुकुल गुप्ता (डिप्टी कलेक्टर), आवंटन अधिकारी को उनके कार्यभार ग्रहण करने दिनांक 25 फरवरी 2019 से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नगर निगम भोपाल सीमा क्षेत्र हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करता है।

No. F- 1-55-2009-दो-ए(3).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No. 46 of 1974), the State Government hereby appoints Shri Mukul Gupta, Allotment Officer, Directorate of Estates, Bhopal as competent authority, with effect from the date 25th February 2019 of his taking over charge for the purpose of the said Adhiniyam within the jurisdiction of Municipal Corporation, Bhopal.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंजू पवन भदौरिया, उपसचिव।